




9.9.19 वकील वारीगण उपस्थित /
प्राप्तिकारी छकतरमा / वकील वारी
साक्ष्य देता करते ले, अवल
चाह रहे हैं; जो एक अतिरिक्त
सिद्धांत दिया जाकर 4/11/19
वाले वारी साक्ष्य देते 05/11/19
को पत्र है।


सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

14/10/19 वकील वारीगण उपस्थित वकील वारीगण
साक्ष्य देत एक फेर डककर चाहे हैं
गोकार दिया जाता है पत्रावली दिनांक
21/11 के पत्र है।


सप्लेण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

02/12/19 पत्रावली काज पेशा हुई। वकील वारीगण उपस्थित।
वारीगण की साक्ष्य अनुपस्थित। वकील वारीगण को
दिनांक 25 09/12/19 के 02/12/19 तक लगभग 4 वर्षों
का बहुत लम्बा समय दिए जाने के उपरान्त भी
वारी साक्ष्य उपलब्ध करने में असमर्थ रहे हैं।
बिना साक्ष्य के किसी भी दस्तावेज को विधि
अनुसार साबित होना नहीं माना जा सकता है।
इसलिए बाद वारी साक्ष्य के अभाव में साबित
नहीं होने के ^{अनुपस्थित में} रेफरेंस किया जाता है। पत्रावली
निर्णय सुझाव दीकर इन्फिल दफ्तर है।


सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

